

असाधारण EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

Ti. 53] No. 53] दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 2, 2008/वैत्र 13, 1930 DELHI, WEDNESDAY, APRIL 2, 2008/CHAITRA 13, 1930 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 002 [N.C.T.D. No. 002

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

COVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

सं. फा. 56(333)/07/वि.मु./05.—इस सरकार की दिनांक 19 जनवरी, 2006 की अधिसूचना संख्या फा. एसी/IV/II/85/जे डी ए/134 के अधिक्रमण में तथा खाद (नियंत्रण) आदेश, 1985 के खण्ड 26 तथा 26क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के स्थानीय सीमाओं में उपरोक्त आदेश के उद्देश्य के लिये विकास विभाग के फल एवं सब्जी विशेषज्ञ श्री ए. पी. सैनी को क्रमशः पंजीकरण प्राधिकारी एवं अधिसूचित प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

> राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर, वी. के. गुप्ता, संयुक्त सचिव

No. F. 56(333)/07/Dev. HQ/05.—In supersession of this Government's notification No. F. AC/IV/II/85/JDA/134 dated 19th January, 2006 and in exercise of the powers conferred by clause 26 and clause 26A of the Fertilizer (Control) Order, 1985, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, is pleased to appoint Sh. A.P. Saini, Fruit and Vegetable Specialist of Development Department, as the Registering Authority and the Notified Authority respectively, for the purpose of the aforesaid order, within the local limits of the National Capital Territory of Delhi.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, V. K. GUPTA, Jt. Secv.